रजिस्ट्री सं० डी०ए ल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 518] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 19, 2018/अग्रहायण 28, 1940
No. 518] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 19, 2018/AGRAHAYANA 28, 1940

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2018

फा.सं. पीएनजीआरबी/एम(सी)/62/2018.—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बोर्ड, एतद्द्वारा, निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः :-

1. इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन टैरिफ का निर्धारण) संशोधन विनियम, 2018 कहा जाएगा।

2. वे दिनांक 20 दिसंबर, 2018 से लागू होंगे।

3. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन टैरिफ का निर्धारण) विनियम, 2010 में, -

(क) विनियम 4 में पंचम परंतुक के पश्चात निम्नलिखित परंतुक रख दिया जाएगा, नामतः :-

"बशर्ते कि संक्रमणकालीन एक वर्ष की विस्तारित संक्रमण अवधि पूर्ण होने के पश्चात आगामी 31.03.2019 तक की अवधि के लिए बढ़ाया जाए।";

(ख) विनियम 5 में चतुर्थ परंतुक के पश्चात निम्नलिखित परंतुक रख दिया जाएगा, नामतः :-

"बशर्ते कि इस विनियम के अंतर्गत पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन टैरिफ निर्धारण के लिए भी रेलवे की माल टैरिफ तालिका के अनुसार बेंचमार्क किया जाएगा जैसा कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस

विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन टैरिफ निर्धारण) संशोधन विनियम, 2018 के प्रवृत्त होने की तारीख़ से लागू होगा जोकि संक्रमण अवधि के दौरान अवरुद्ध रहेगा और यदि आगे विस्तारित संक्रमण अवधि में रेलवे की माल टैरिफ तालिका में संशोधन होता है तो बोर्ड विचार कर सकता है तथा पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद परिवहन टैरिफ के बेंचमार्क पर निर्णय ले सकता है।"

वन्दना शर्मा, सचिव

[विज्ञापन-III /4/ असा./440 /18]

पाद टिप्पणी: मुख्य विनियम सा.का.नि. 987(अ), दिनांक 20.12.2010 को अधिसूचित किए गए थे और तत्पश्चात अधिसूचना सं. फा.सं. पीएनजीआरबी/ एम(सी)/62/2012, दिनांक 13.12.2012, फा.सं. पीएनजीआरबी/एम(सी)/62/2014, दिनांक 16.12.2014, फा.सं. पीएनजीआरबी/एम(सी)/62/2014, दिनांक 15.12.2016 और पीएनजीआरबी/एम(सी)/62/2014, दिनांक 15.12.2017 के माध्यम से संशोधित किए गए थे।

PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th December, 2018

F. No. PNGRB/M(C)/62/2018.—In exercise of the powers conferred by section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Board hereby makes the following regulations, namely: -

1. These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Petroleum and Petroleum Products Pipeline Transportation Tariff) Amendment Regulations, 2018.

2. They shall come into force on 20th December, 2018.

3. In the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Petroleum and Petroleum Products Pipeline Transportation Tariff) Regulations, 2010, –

(a) in regulation 4, after the fifth proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided also that the transitional period may, after the completion of the extended transition period of one year, be further extended up to 31.03.2019.";

(b) in regulation 5, after the fourth proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided also that the determination of the petroleum and petroleum product pipeline transportation tariff under this regulation shall be benchmarked against the goods tariff table of the railways as applicable on the date of the coming into force of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Petroleum and Petroleum Products Pipeline Transportation Tariff) Amendment Regulations, 2018 and if the goods tariff table of the railways is revised during the further extended period of transition, the Board may consider the benchmarking of the petroleum and petroleum products transportation tariff against such revision."

VANDANA SHARMA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./440/18]

Foot Note: The principal regulations were notified vide GSR 987(E), dated 20-12-2010 and subsequently amended vide notifications No. F.No. PNGRB/M(C)/62/2012, dated 13.12.2012, F. No. PNGRB/M(C)/62/2014, dated 16.12.2014, F. No. PNGRB/M(C)/62/2014, dated 15.12.2016 and F. No. PNGRB/M(C)/62/2014, dated 15.12.2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2018.12.20 20:02:32 +05'30'